भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 5156

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

5156. कुंवर दानिश अली
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश ने इस धनराशि को उन योजनाओं पर खर्च किया है जिनके लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों को कर अंतरण, वित्तीय आयोग अंतरण, केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस), केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएस), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए), विशेष सहायता, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता आदि शीर्षों के तहत संसाधन उपलब्ध करती है। पिछले पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को संसाधनों के अंतरण का संक्षिप्त विवरण **तालिका-1** में उपलब्ध है।

तालिका-1

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मदें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कर अंतरण	1,20,939	1,36,766	1,17,818.30	1,06,687.01	1,14,894.19
2	जिसका	40,648	42,989	44,043.97	57,745.88	87,963.41
	सहायता अनुदान है					
	वित्त आयोग अंतरण	8,968.80	9,475.04	12,964.76	16,023.00	12,306.42

स्रोत: 2017-18 से 2020-21:31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट
2021-22: राज्य बजट 2023-24

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों को वित्त आयोग द्वारा अधिदेशित सहायता अनुदान, 'विशेष सहायता', ईएपी (सहायता अनुदान/ऋण) तथा साथ ही 'राज्यों को अंतरण' अनुदान मांग के तहत पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता जारी करता है। उत्तर प्रदेश राज्य को जारी किए गए सहायता अनुदान और ऋण का स्कीम-वार और वर्ष-वार विवरण **तालिका-2** में उपलब्ध है।

तालिका-2

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) सहायता अनुदान						
वित्त आयोग अंतरण						
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का केन्द्रीय भाग	558.00	351.45	849.30	1,933.00	1,546.40
2	राज्य आपदा शमन कोष का केंद्रीय भाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	2,111.58	1,817.62	2,455.99	4,338.00	1,761.25
4	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	6,179.550	7,148.74	9,659.47	9,752.00	7,208.00
5	स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.77
6	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	119.67	157.23	0.00	0.00	0.00
अन्य अंतरण						
1	विशेष सहायता	917.20	1,200.00	0.00	0.00	0.00
(ख) ऋण						
1	पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण)	0.00	0.00	0.00	976.00	1483.00
2	ईएपी	1,103.16	804.31	1,254.65	1,355.69	967.89

(ख) से (ग): मौजूदा स्थिति के अनुसार, वित्त आयोग द्वारा अधिदेशित स्कीमों/कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों को निधि जारी करना संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों में निर्धारित दिशानिर्देशों, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफ़आर) के अनुसार जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के द्वारा नियंत्रित है। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्षों के दौरान देय सहायता अनुदान/ऋण में समायोजित किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने द्वारा कार्यान्वित की गयी स्कीमों का नियमित मूल्यांकन करते हैं। नीति आयोग चयनित कार्यक्रमों/स्कीमों का समवर्ती मूल्यांकन भी करते हैं।

*****